न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

रा. नि. क्र. ....../2015

01. **गब्बूलाल** आत्मज श्री दयाराम, जाति आदिवासी
02. **जगदीश** आत्मज श्री दयाराम, जाति आदिवासी

कृषक एवं निवासी – ग्राम छापरी,
तहसील नसरूल्लांज, ज़िला सीहोर (म.प्र.) .... **निगरानीकर्तागण**

विरूद्ध

01. **मध्यप्रदेश शासन** द्वारा कलेक्टर, ज़िला सीहोर
02. **शिवराम** आत्मज भैरा जी
03. **संतोष** आत्मज शिवराम

दोनों निवासीगण – ग्राम छापरी,
तहसील नसरूल्लांज, ज़िला सीहोर (म.प्र.) .... **उत्तरदातागण**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959

महोदय जी,

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नसरूल्लागंज, ज़िला सीहोर द्वारा प्रकरण क्र. 24/अपील/2014–15 (शिवराम एवं अन्य विरूद्ध गब्बूलाल एवं अन्य) में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23.10.2015 से दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष समय सीमा में सादर प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में

01. यह कि, ग़ैर निगरानीकर्तागण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष क्रमशः दिनांक 11.02.15, 16.03.15 एवं 22.05.15 को शिकायती आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि–निगरानीकर्तागण द्वारा उक्त शासकीय रास्ते पर कब्ज़ा कर कृषकगणों के खेत में आने–जाने एवं मशीनें ले जाने का मार्ग बंद कर दिया है, जिसे कृषकों को परेशानी हो रही है तथा हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 26.05.15 को तथाकथित पंचनामा तैयार कर प्रतिवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. 5/अ–13/14–15 दर्ज़ कर निगरानीकर्ता/अनावेदक को आहूत किया गया। उपस्थिति उपरांत निगरानीकर्तागण/अनावेदकगण द्वारा विधिवत् जबाव प्रस्तुत कर प्रस्तुत आवेदन एवं अंतरिम निरस्त करने का निवेदन किया।

निरंतर.......

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3869–2/2015 **जिला** सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश गब्बूलाल विरूद्ध शासन आदि	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
/–12–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक श्री गुलाब सिंह चौहान, उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया। 2. आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कहा गया कि आवेदकगण द्वारा शासकीय रास्ते पर कब्जा कर रास्ते को रोक दिया गया है। जिसके संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से मौके की स्थिति का प्रतिवेदन चाहा गया जो पटवारी द्वारा पंचनामा दिनांक 26.5.2015 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद विचारण न्यायालय में प्रकरण कमांक 5/अ–13/14–15 पंजीबद्ध कर उभय पक्षों को सुना जाकर मौके पर शासकीय रास्ता यानी शासकीय मेढा खुला होने के कारण अनावेदक का आवेदन आदेश दिनांक 3.8.15 से निरस्त किया गया। विचारण न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 23.10.2015 जारी कर रास्ता खोले जाने का आदेश देते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि चूंकि मौके पर शासकीय मेढा खुला हुआ है जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया है। यह भी बताया गया कि यदि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा गया तो निश्चित ही आवेदक के खेतों से रास्ता निकाला जाकर बोईगई फसल को क्षति पहुंचेगी। यह भी कहा गया कि सभी कृषकों द्वारा दर्शित शासकीय मेढा से होकर रास्ते का उपयोग कर अपने खेतों की जुताई बुबाई की जा चुकी है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया। 3. आवेदक अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में मेरे द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 3.8.15 एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23.10.2015 का अवलोकन किया गया एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 4. विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 3.8.15 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि अनावेदक द्वारा जिस रास्ते का उल्लेख किया गया है वह विवाद आवेदक एवं अनावेदक के मध्य है जिस स्थान पर रास्ता चाहा जा रहा है वह शासकीय मेढ़ा न होकर रूढ़िगत रास्ता है जो आवेदक के खेत से होकर है क्योंकि पहले यह खेत शासकीय था जहां पर आवेदक	

R. 3869/11/15 गब्बूलाल/ शासन आदि सीहोर

को पट्टा हुआ है। मौके पर शासकीय मेढा खुला पाया गया जो विकसित रास्ता है जहां से सभी ग्राम पलासी खुर्द के कृषकों द्वारा निकलकर अपने खेतों की बोनी कर ली है। विचारणन न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि अनावेदक द्वारा जो आवेदन पत्र रास्ते के संबंध में प्रस्तुत किया गया था उसमें रास्ते के संबंध में स्थल की स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र में स्थिति स्पष्ट न होने से उपरोक्त आधारों पर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है।

5. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.1015 मे मुख्य रूप से मात्र यह अंकित करते हुए कि प्रस्तुत आवेदन पत्र को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि अनावेदकगणों को उनके खेत पर जाने का विवादित मार्ग के अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होने की स्थिति में ही आवेदन निरस्त करने का आदेश देना चाहिए था।

विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जारी आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 3.8.8.15 का सही एवं सजग होकर परीक्षण नहीं किया गया जबकि विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि मौके पर शासकीय मेढा खुला हुआ है जिसका उपयोग रास्ते के रूप में है जहां से सभी कृषकों द्वारा निकलकर अपने खेतों की बुबाई की है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिन्दु क्रमांक 5 में अंकित तथ्यों के आधार पर रास्ता खोले जाने का आदेश दिया जाना उचित नहीं हैं। चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रास्ता खोले जाने के आदेश के साथ प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अभी अंतिम आदेश पारित न होकर कार्यवाही प्रकियाधीन है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 23.10.15 तथ्यात्मक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप न होने से निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई एवं पक्षसमर्थन का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मौके की स्थिति के अनुरूप आवेदक एवं अनावेदक गण को उनकी भूमि का किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए जैसा कि विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 3.8.15 में अंकित स्थिति के अनुसार रास्ते के रूप में शासकीय मेढ़ा खुला होना बताया गया है, जहॉ से भी कृषकों द्वारा निकलकर अपने–अपने खेतों की बुबाई का कार्य किया है, से होकर विधि के अनुरूप संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसरण में रास्ता दिए जाने के आदेश जारी करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो।

सदस्य 1.12.15